अति तत्काल

समयबद्ध

फा.सं.18-3/2020-सी.सी.-अ.सा.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(वाणिज्यिक फसल प्रभाग)

449-A, कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 03.02.2021

अधिसूचना

विषय: 2021 मौसम के लिए कोपरा की मूल्य नीति - कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की घोषणा।

भारत सरकार ने 2021 मौसम के लिए कोपरा की मूल्य नीति की घोषणा की है और निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

i. 2021 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: 10335/- रूपए प्रति क्विंटल और 10600/- रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

ii. मिलिंग कोपरा की उचित औसत गुणवत्ता किस्म के एम.एस.पी. के आधार पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग 2021 मौसम के लिए पके हुए छिलका रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगा।

iii. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन (नेफैड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फेडरेशन (एन.सी.सी.एफ.) मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत कोपरा की और छिलके रहित नारियल की खरीद के लिए केन्द्रीय एजेन्सिया होंगी। राज्य एजेन्सियों को भी उपयुक्त तरीके से खरीद प्रचालनों में लगाया जाएगा।

iv. कृषि लागत और मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशों (**अनुबंध 'क'**) पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा समयबद्ध तरीके से उपयुक्त कार्यवाई की जाए।

2. इस संबंध में, सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों से अनुरोध है की उपरोक्त निर्णयों पर उचित कार्रवाई के उपरांत इस कार्यालय को सूचित करें।

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

आवश्यक कार्यवाई एवं सूचना हेतु:-

1. संयुक्त सचिव (बागवानी),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

2. संयुक्त सचिव (सहकारिता),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

3. सलाहकार (व्यापार),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

4. संयुक्त सचिव (विपणन),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

5. संयुक्त सचिव (फसलें),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

6. संयुक्त सचिव (एम एंड टी),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

7. संयुक्त सचिव (क्रेडिट),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली.

8. संयुक्त सचिव (तिलहन),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली.

9. संयुक्त सचिव (फसल सुरक्षा),
   कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली.

10. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
    कृषि भवन, नई दिल्ली.

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)

सलाहकार

दूरभाष: 23382540

आवश्यक कार्यवाई एवं सूचना हेतु:

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग,
   वित्त मंत्रालय, 130, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

2. सचिव, व्यय विभाग,
   वित्त मंत्रालय, 129-ए, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली.

3. **सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,**
कृषि भवन, नई दिल्ली.

4. **सचिव, उपभोक्ता कार्य विभाग,**
उपभोक्ता कार्य मंत्रलाय, कृषि भवन, नई दिल्ली.

5. **सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**,
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,नई दिल्ली.

6. **सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**,
कमरा सं. 143, उद्योग भवन, नई दिल्ली.

7. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग,**
योजना भवन, नई दिल्ली.

8. **संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय**, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली.

9. **निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवल्य,** राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली.

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. **मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार,** प्रथम ब्लॉक, प्रथम तल, इंटेरिम गवर्नमेंट कॉप्लेक्स, आंध्र प्रदेश सचिवालय ऑफिस, वेलागापुडी, गुंटूर-522503.
2. **मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार**, सचिवालय, चेन्नई -600009.
3. **मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार**, कमरा सं. 321, तीसरी मंजिल, विधान सौंध, बैंगलोर-560001.
4. **मुख्य सचिव, केरल सरकार**, तिरूवनन्तपुरम-695015.
5. **मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन**, पी. ओ. चाटम, पोर्ट ब्लेयर-744101.
6. **प्रशासक, लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र**, कावारती-682555.

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)
सलाहकार
दूरभाष: 23382540

प्रति सूचनार्थ:

1. **सचिव (कृषि,सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव**, कृषि भवन, नई दिल्ली.

2. **प्रधान सलाहकार के प्रधान निजी सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग**, कृषि भवन, नई दिल्ली.

3. **वरिष्ठ आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के निजी सचिव, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**, कृषि भवन, नई दिल्ली.

4. **सलाहकार (एफई), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**, कृषि भवन, नई दिल्ली.

5. **सलाहकार (समन्वय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**, कृषि भवन, नई दिल्ली.

6. **तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय आसूचना केंद्र, 341,** कृषि भवन, नई दिल्ली- को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना को डी.ई.एस. तथा डीएसीएंडएफडबल्यू के वैबसाइट पर लोड करें।

प्रमोदिता

(प्रमोदिता सतीश)

सलाहकार

दूरभाष: 23382540

2021 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशें

क्र.सं.	सिफारिश
1	नारियल भारत के मिलियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है किंतु उन्नत फसलों के अच्छी गुणवत्ता वाले पौधरोपण सामग्री तक पहुंच किसानों के लिए एक समस्या है। जैव एवं अजैव-तकनीकी रोध के साथ उच्च पैदावार की किस्मों/हाईब्रिड का विकास देश में नारियल उत्पादकता एवं उत्पादन में सुधार करने का एक प्रमुख घटक है। आईसीएआर संस्थान/राज्य कृषि विश्वविद्यालय ने नारियल के कई उन्नत किस्में एवं संकर किस्में जारी किए हैं किंतु इन जिन्सों/संकर का क्षेत्र स्तर पर अपनाया जाना कई कारणों से कम है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल पौधरोपण सामग्री आवश्यकता की मात्र 25 प्रतिशत आवश्यकता को ही पूरा करने में सक्षम है। गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री के वृहत पैमाने पर उत्पादन एवं मुद्रण को सुगम बनाने के लिए निजी भागीदारों, किसानों, नारियल उत्पादक समितियों (सीपीएस), महिला स्वंसहायता समूहों आदि को आलिप्त कर नारियल बीज उद्यान स्थापित किए जाने चाहिए।
2	देश में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने का एक प्रभावकारी तरीका नए क्षेत्रो में नारियल के कृषि को बढ़ावा देना और त्वरित तरीके से उच्च पैदावार वाली गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री से उपजाऊ वृक्षारोपण का पुनर्रोपन/पनुर्रूद्धार करना है। आयोग सिफारिश करता है कि क्षेत्रों के विस्तार और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत वृक्षरोपण और कार्यक्रमों का पूर्णोद्धार के तहत आवंटन अत्यधिक मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान नारियल वृक्षारोपण से संबंधी सभी श्रम सघन कार्यों के प्रावधान से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि वो इस प्रावधान का फायदा उठा सकें।
3	यद्यपि, भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसकी पैदावार उच्चतम है, यह पैदावार में वृहत एवं निरंतर उतार-चढ़ाव और अवरूद्ध उत्पादकता, जिसके परिणामस्वरूप निम्न लाभप्रदता होती है कि दोहरी चुनौतियों का सामना करता है। अतः, नारियल पैदावार में सुधार करने और लाभप्रदता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और उत्पादकता की विविधता को कम करने की आवश्यकता है। कंद, औषधिय, सुगंधित फसलों, फल, सब्जियां और मसाले इत्यादि जैसी अंतर/संकर फसल तथा पशुधन जैसे अन्य उद्योगों के साथ एकीकरण से फार्म उत्पादकता में सुधार को व्यापक दायरा मिलता है और जोखिम कम होते हैं। नारियल की खेती की लाभप्रदता एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसान तथा नारियल आधारित एफपीओ की सक्रीय भागीदारी से नारियल आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।

2021 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशें

क्र.सं.	सिफारिश
4	नारियल उत्पादन,पेड़ों और सुपारी की रोग एवं कीट प्रकोप, अप्रत्याशित मौसम एवं प्रकृतिक आपदाओं, जो फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को विपरित रूप से प्रभावित करती है, कि गंभीर चुनौतियों का सामना करती है। अत: नारियल क्षेत्र के समुचित विकास के लिए,रोग एवं कीट प्रकोप को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एकीकृत रोग एवं कीट प्रबंधन नीतियो सहित कीट रोधों तथा रोग एवं अन्य जैविक तथा अजैविक बलों के साथ जिन्सों/हाईब्रिड का प्रजनन एवं चयन महत्वपूर्ण है। कीटों एवं रोग के आक्रमण का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रभावकारी निगरानी एवं रोग निदान सेवाओं और आजिविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले उभरते कीटों एवं रोगो के प्रति समय पर एवं तीव्र अनुक्रिया करने के लिए जागरूकता एवं तत्परता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आयोग का सुझाव है कि कृषि विभाग, केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए फसल कीट निगरानी प्रणाली (सीपीएसएस), वेब एवं मोबाईल आधारित आईसीटी सक्षम कीट निगरानी सूचना प्रणाली अन्य नारियल उत्पादक राज्यों द्वारा अपनाए जाने चाहिए।
5	नारियल की खेती, विशेष रूप से कटाई अत्यधिक श्रम सघन है और पिछले कुछ वर्षों से श्रमिकों की कमी और उच्च मजदूरी से ग्रस्त है। अत: फसल कटाई एवं पौध संरक्षण क्रियाकलापों में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो शारीरिक श्रम पर अत्यधिक निर्भरता को कम करेगा। यद्यपि, नारियल पाम से नारियल फलों की कटाई के लिए कुछ यंत्र विकसित किए गए हैं, कोई प्रभावकारी और प्रयोक्तानुकूल यंत्र विकसित नहीं किया गया है। विभिन्न आर.एडं.डी संस्थाएं जैसे की आईसीएआर/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/भारतीय प्राद्योगिकी संस्थानों को उपयुक्त यंत्र जो किफायती, प्रभावकारी और प्रयोक्तानुकूल हो, को विकसित करने के लिए साझेदारी से कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उच्च श्रम लागत के मुद्दे को सुलझाने के लिए, कतिपय नारियल कृषि क्रियाकलाप जैसे की पुराने नारियल उद्यानों को हटाना, पुनर्पौधरोपन/पुनर्रूद्धार, कटाई इत्यादि अन्य नारियल विकास योजनाओं के साथ समाभिरूपता से मनरेगा कार्यों के तहत अनुमति होनी चाहिए।
6	नारियल पाम बीमा योजना, जो नारियल की फसल को प्राकृतिक एवं अन्य अपदाओं जिनका परिणाम पाम के नष्ट होने/हानि अथवा पाम का अनउत्पादक होना हो सकता है, से बीमा प्रदान करती है। यह बीमा योजना किसानों में अधिक लोकप्रीय नहीं है क्योंकि केवल 45.5 लाख पाम एवं 76,334 किसानों को ही योजना की शुरूआत से इस योजना के तहत कवर किया गया है। आयोग सिफारिश करता है कि प्रीमियम दर, बीमित धनराशि और कवर किए गए जोखिमों सहित सीपीआईएस के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश किसानों के लिए अधिक

2021 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशें

क्र.सं.	सिफारिश
	आकर्षक एवं प्रासंगिक बनाने के लिए योजना की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है। योजना के बारे में किसानों में जागरूकता लाने और सीपीआईएस में इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू करने की आवश्यकता है।
7	अधिकांश लघु एवं सीमांत नारियल किसानों के पास नारियल छीलने/सुखाने की सुविधा नहीं होती है और वे अपने उत्पादों को कच्चे नारियल के रूप में बेचने को बाध्य होते हैं। अत:, ये किसान मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत सरकारी खरीद प्रचालनों से लाभान्वित नहीं होते हैं। नारियल को कोपरा में प्रसंस्कृत करने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को खरीद प्रचालनों से लाभान्वित करने के उद्देश्य से, किसानों को समूहों में वर्गीकृत करना और ड्राईंग यूनिट्स और अन्य अवसंरचना की खरीद के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। क्योंकि बाजार में नारियल की आवक वर्ष भर समान रहती है, आयोग सिफारिश करता है कि खरीद एजेंसियों को मूल्य निर्धारण नीति की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए जब कभी भी बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाए हस्तक्षेप करने की अनुमति होनी चाहिए।
8	नारियल उत्पादों के खाद्य एवं पेय पदार्थ, सौंदर्य एवं हैल्थ केयर उत्पाद, ओलिय रसायनों आदि में बहुत-से उपयोग होते हैं। नारियल मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने विविधिकरण और निर्यातों के लिए नए अवसर खोले हैं। क्योंकि नारियल तेल के मूल्य अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में उच्चतर हैं, नारियल तेल सस्ते तेलों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। अत:, नारियल के क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और उत्पाद विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए विविधिकरण नीति की आवश्यकता है। उन्नत गुणवत्ता, उच्चतर मूल्य के नारियल उत्पादों का विविधिकरण और उच्चतर उत्पादकता वृद्धि भारतीय नारियल उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आवश्यक है।
9	भारत सरकार नारियल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल उत्पादक समितियों (सीपीएस), नारियल उत्पादक परिसंघ (सीपीएफ) और नारियल उत्पादक कंपनियों (सीपीसी) के गठन को सुगम बनाने हेतु एक प्रमुख समुदाय आधारित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इसके बहुत ही महत्वाकांक्षी उद्देश्यों और योजनाओं में नारियल खेती के तहत क्षेत्र के विकास करने, नारियल आधारित उद्योगों, सामूहिक विपणन एवं उत्पाद विविधिकरण को बढ़ावा देना शामिल हैं। इन संगठनों को और प्रभावशील बनाने तथा उभरते बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए, बाजार संपर्क मूल्य संवर्धन की अवसंरचना में निवेश तथा इन संगठनों के सदस्यों का क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

2021 मौसम के लिए कोपरा हेतु मूल्य नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की गैर-मूल्य सिफारिशें

क्र.सं.	सिफारिश
10	नारियल तेल में सस्ते खाद्य तेलों जैसे कि पाम तेल की मिलावट एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा का मुद्दा और देश में नारियल तेल उद्योग के लिए एक चुनौती बन गई है। मार्च, 2020 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को प्रवर्तन क्रियाकलाप करने और खाद्य तेलों में मिलावट से निपटने के लिए कहा है क्योंकि मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम और खाद्य सुरक्षा सरोकार प्रस्तुत करती है, इस मुद्दे को उद्योग एवं सरकार दोनों के सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता से प्रभावकारी समन्वय, निगरानी और उचित विनिमयाकीय उपायों के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।
11	नारियल तेल देश के दक्षिणी भागों में भोजन पकाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है किंतु वनस्पति तेलों में उच्च स्तरीय प्रतिस्थापन और सस्ते वैकल्पिक खाद्य तेल जैसे कि पाम ऑयल और सोयाबीन तेल की उपलब्धता के कारण इसका सापेक्षिक महत्व घट रहा है। देश में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और नारियल किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए आयोग सिफारिश करता है कि भारत सरकार को उचित स्तर पर खाद्य तेलों के आयात प्रशुल्क ढांचों विशेष रूप से पाम तेल और इसके घटकों का अनुरक्षण करना चाहिए और इन्हें वैश्विक मूल्यों से संबद्ध करना चाहिए। शुद्ध नारियल तेल के निर्यातों, जिसकी यूरोपीय बाजार, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बड़ी संभावना और मांग है, को बढ़ावा देने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।
12	कतिपय नारियल उत्पादों के बढ़ते आयात जैसे कि एफटीए/आरटीए के तहत पड़ोसी देशों से निर्जलीकृत नारियल का आयात, किसानों और उद्योगों को विपरीतत: प्रभावित करते हैं। अत:, किसानों और नारियल उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार के उचित नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता है।